संख्या–2303/81–2–2022–911/92

प्रेषक,

आशीष तिवारी,
सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

सहायक वन महानिरीक्षक,
भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
अलीगंज, जोरबाग रोड, नई दिल्ली।

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग–2 लखनऊ, दिनांक 01 ~~अगस्त~~ सितम्बर, 2022

विषयः– जनपद सोनभद्र के ओबरा वन प्रभाग में मे0 अल्ट्राटेक सीमेन्ट लि0, डाला, सोनभद्र द्वारा कजरहट (डाला) लाईम स्टोन माइन्स के अन्तर्गत 294.082 हे0 आरक्षित वनभूमि एवं भलुआ लाईम स्टोन माइन्स के अन्तर्गत 50.606 हे0 आरक्षित वनभूमि अर्थात कुल 344.688 हे0 आरक्षित वनभूमि पर खनन कार्य हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत 30 वर्षों के लीज पर हस्तान्तरित किये जाने एवं बाधक 16534 वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में। (प्रस्ताव सं0–एफपी/यूपी/MIN/47074/2020)

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया अपने पत्र संख्या–8–26/2021–एफसी दिनांक 01.11.2021 का सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके क्रम में मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0 लखनऊ के पत्र संख्या–747/11–सी–एफपी/यूपी/MIN/47074/2020 दिनांक 29.08.2022 द्वारा संशोधित सूचना/अभिलेख उपलब्ध करायी गई है।

2– अतएव मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0 लखनऊ के पत्र दिनांक 29.08.2022 द्वारा उपलब्ध करायी गई सूचना/अभिलेख की प्रति संलग्नकर प्रेषित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया विषयगत प्रकरण में वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत अग्रेतर कार्यवाही कराने का कष्ट करें।

संलग्नक : यथोक्त।

भवदीय,

(आशीष तिवारी)
सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0 लखनऊ।
2. मुख्य वन संरक्षक, मीराजपुर क्षेत्र, मीरजापुर/वन्यजीव, पश्चिमी क्षेत्र, कानपुर।
3. प्रभागीय वनाधिकारी, कैमूर वन्यजीव प्रभाग, मीरजापुर/ओबरा वन प्रभाग, ओबरा।
4. सी0ओ0ओ0 मे0 अल्ट्राटेक सीमेन्ट लि0 यूनिट डाला सीमेन्ट वर्क्स, एस0एच0–5 सोनभद्र।
5. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(आशीष तिवारी)
सचिव।

Data D. SO.Nodal.GOI Letter